न्यायालय प्रभारी सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
उपस्थित :– राकेश कुमार–पंचम (एच०जे०एस०)
JO Code NO- UP-6155
CNR N0-UPME010087432026
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–2991/2026
प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2421/2026

अमन पुत्र हनीफ .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य .....अभियोजन ।

धारा–109(1),351(3),191(1)
बी०एन०एस०
थाना – लिसाडी गेट, जिला मेरठ
मु०अ०सं० 397 सन् 2026

24.06.2026

1– पुलिस थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ पर मु०अ०सं० 397 सन् 2026, अंतर्गत धारा 109(1),351(3),191(2) बी०एन०एस० में वांछित अभियुक्त अमन पुत्र हनीफ निवासी मौ0 महमूद नगर ठेके के सामने थाना कोतवाली जिला मेरठ की ओर से प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है कि यह प्रार्थी अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र हैं तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी अजमल उर्फ अज्जू के द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना लिसाडी गेट पर दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी का बिल्ली का बच्चा समय करीब 1 बजे पडोस आसफ के घर पर चला गया था जिस पर विवाद हो गया तथा अचानक आसिफ के भाई वहां आ गये और वहां पर मौजूद प्रार्थी के भाई नौशाद के ऊपर आसिफ व उसके भाईयों अमन , कमर व आरिफ तथा आसिफ के पुत्र काशिफ ने एक राय होकर प्रार्थी के भाई के उपर जान से मारने की नियत से धारदार हथियारों तथा ईटों से हमला कर दिया जिससे प्रार्थी का भाई नौशाद गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे उक्त सभी लोग मरा समझकर वहां छोडकर बाकी सभी लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये । रिपोर्ट दर्ज कर मुल्जिमानों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गई।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा अभियोजन की कहानी मनगढंत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर आधारित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी पर भी कोई जानलेवा हमला नहीं किया है। मामला एक बिल्ली के बच्चे के कारण कहासुनी होना बताया गया है और प्रार्थी/अभियुक्त का किसी की जान लेने के लिये हमला करने का कोई मोटिव भी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त जमानत की शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करेगा । जमानत पर छूटने के पश्चात उसके भगौडा होने या गवाहान को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये

बताया कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के भाई के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचायी गयी हैं तथा मजरूब नौशाद को कुल 4 चोटें आयी हैं । उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

6– प्रार्थी /अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई नौशाद के ऊपर हमला कर चोटें पहुंचाने का आक्षेप है। वादी मुकदमा द्वारा केस डायरी के पर्चा सं०–02 पर विवेचक को दिए गए बयानों में कहा है कि घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद नहीं था आने के बाद लोगों के द्वारा बताया गया कि उसकी बिल्ली का बच्चा पडोसी आसिफ के घर चला गया था जिस पर विवाद हो गया । अन्य गवाहान नदीम व मोबीन द्वारा भी बिल्ली के बच्चे को लेकर विवाद होना गहा गया है। केस डायरी में मजरूब नौशाद की चिकित्सीय परीक्षण आख्या संलग्न है जिसमें 4 चोटें दर्शायी गयी है जिसमें डाक्टर द्वारा Kept under observation रखा गया है। अभियोजन की प्रार्थना पर अभियोजन को अग्रेतर मेडिकल रिपोर्ट/सप्लीमेंटरी रिपोर्ट हेतु समय दिया गया किन्तु अभियोजन द्वारा कथन किया गया कि मजरूब के द्वारा आगे ईलाज नहीं कराया गया है न ही आगे चिकित्सीय कार्यवाही हुई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गंभीर प्रकृति की चोट नहीं है। मामले में विवेचन अभी प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 5.6.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

8– उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर बिना विचार किये प्रार्थी! अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अमन पुत्र हनीफ की ओर से मु०अ०सं० 397 सन् 2026, अंतर्गत धारा 109(1),351(3),191(2) बी०एन०एस० थाना लिसाडी के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि की दो जमानतें संबंन्धित न्यायालय की संतुष्टि की दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना व विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को न तो डरायेगा न ही धमकायेगा न ही उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव डालेगा एवं साक्ष्यों के साथ छेडछाड नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथियों पर स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त न तो फरार होगा और न ही बिना न्यायालय की अनुमति के भारत की सीमाओं से बाहर जायेगा।

(राकेश कुमार–पंचम)
प्रभारी– सत्र न्यायाधीश,मेरठ।

24.06.2026

This is uncertified copy for information/ reference for authentic copy please to refer certified copy only.
Rajpal (P.A.)